न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.06.2015
GCMS NO. :-2015/00067

शंकर आत्मज देवीलाल दरोगा उम्र वयस्क, निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

देवा आत्मज पेमा धाकड़ उम्र वयस्क, निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बेगूं बमामले प्र. सं. 02/2014 रे. मुत. दिनांक 25.05.2015

उपस्थितिः– 1– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी

प्र. सं. 17/2015 (रा. अ.)
शंकर आत्मज देवीलाल दरोगा निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं बनाम देवा आत्मज पेमा धाकड़ निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं

निर्णय

दिनांक 10.02.2023

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्ध रास्ते पर से अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांट को खातेदारी भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जो कि विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आराजी नम्बर 151 जो कि अपीलार्थी के कब्जे-काश्त एवं खातेदारी की होना एक स्वीकृत तथ्य है उस पर अपीलार्थी का अतिक्रमण कैसे माना जा सकता है। इस वैधानिक स्थिति की उपेक्षा कर अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जो पूर्णतया तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी की कब्जे-काश्त एवं खातेदारी की आराजी नम्बर 151 पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए बेदखल कर अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया और न ही रेस्पोडेन्ट का अपीलार्थी की आराजी नम्बर 151 से होकर उसकी आराजी नम्बर 156 पर पहुंचने का कोई रास्ता स्थित है। पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी नम्बर

151 अपीलार्थी के खातेदारी की होकर उस पर अपीलार्थी का कुआ व ट्यूबवेल लगी हुई है जिस पर आने-जाने व ट्यूबवेल तक पहुंचने व निकलने के ट्रेक्टर के निशानात बने हुए हैं जो कि अपीलार्थी के ही ट्रेक्टर के हैं तथा आराजी नम्बर 151 के बाहर कोई ट्रेक्टर के कोई निशानात नहीं है एवं न ही आराजी नम्बर 156 पर पहुंचने का यहां से कोई रास्ता है। रेस्पोडेन्ट सार्वजनिक रास्ते से होकर बिलानाम आराजी में होता हुआ अपनी आराजी नम्बर 156 पर पहुंच सकता है जिसके लिए रास्ते के निशान के रूप में डोटेड लाईन/निशान भी नक्शे में बने हुए हैं जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए उसे खेत की हकत व पड़त भूमि को अलग-अलग होना दर्शाया माना है जो कि आश्चर्यजनक तथ्य है। रेस्पोडेन्ट षडयन्त्रपूर्वक अपीलार्थी की आराजी नम्बर 151 व 152 के मध्य से होकर अपनी आराजी नम्बर 156 में पहुंचना चाहता है। जबकि रेस्पोडेन्ट के लिए पहले से ही अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ता मौजूद होकर नक्शा ट्रेस में दर्शित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का रामपुरिया द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 16.07.2014 उपलब्ध है उसमें पटवार हल्का रामपुरिया द्वारा यह अंकित किया है कि ''आराजी नम्बर 151 के पूर्वी ओर ट्रेक्टर एवं गाडी गडार के निशानात पाये गये तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता नहीं है। मौके पर पर्चा मौका अनुसार 60 वर्ष पुराना रास्ता मौतबिरान ने बताया।'' अतः पटवारी हल्का रामपुरिया की रिपोर्ट दिनांक 16.07.2014 अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 151 मे से होकर जाने का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है।

धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसारः-''धारा 251- मार्ग तथा अन्य निजी सुखचारों के अधिकारः- किसी भू-धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त

भू-धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक-आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।'' जिसके तहत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू-धारक को मार्गाधिकार तथा अन्य सुखाचार या अधिकार का आनन्द लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है जिसके तहत भूमिधारी तहसीलदार भू-धारक के आवेदन पर यदि कोई रेकार्डेड रास्ता किसी के द्वारा अवरूद्ध किया गया है तो उसे खुलवाने हेतु अधिकृत है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच किए बगैर प्रथम दृष्टया उक्त आदेश पारित किया जाना प्रतिवेदित होता है।

रेस्पोडेन्ट ने इस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये पुष्टि होती हो की आराजी नम्बर 156 मे जाने के लिए आराजी नम्बर 151 में से कई वर्षों से कदीमी रास्ता कायम हो जिसे अपीलार्थी द्वारा अवरूद्ध किया गया हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा उसके प्रस्तुत जवाब में उठाये गए बिन्दु कि ''आराजी नम्बर 151 पर उसका कुआ व ट्यूबवेल लगी होने से वहां आने-जाने व ट्यूबवेल तक पहुंचने व निकलने आदि के ट्रेक्टर के निशानात बने हैं जो कि अपीलार्थी के ही ट्रेक्टर के हैं तथा आराजी नम्बर 151 के बाहर ट्रेक्टर के कोई निशानात स्थित नहीं है'' के संबंध में भी कोई जांच की है तथा रेस्पोडेन्ट ने भी अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम कंथारिया के उपलब्ध नक्शे का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 156 पर पहुंचने के लिए आराजी नम्बर 149 की उत्तरी-पश्चिमी मेड़ के सहारे डोटेड-डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है जिसके संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत जांच नहीं की है।

प्र. सं. 17/2015 (रा. अ.)
शंकर आत्मज देवीलाल दरोगा निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं बनाम देवा आत्मज पेमा धाकड़ निवासी कंथारिया, तहसील बेगूं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत भूमिधारी तहसीलदार को कदीम रास्ता जो वर्षों से आने-जाने का कायम हो तथा उसे किसी के द्वारा अवरूद्ध किया गया हो तो उसे ही खुलवाने का अधिकार प्रदत्त है ना कि कोई नया रास्ता कायम करने का। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच किए बिना विवादित आदेश दिनांक 25.05.2015 पारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.05.2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर तथा तथ्यों की पूर्ण जांच कर, उभय पक्ष की उपस्थिति में आराजी नम्बर 149 की मेड के सहारे दर्शाये गये रास्ते के उठाये गये बिन्दु के संबंध में भी मौका जांच कर पुनः नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)